FORM NO.III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1, मुकाम झुन्झुनू

आपराधिक अपील संख्या- 25/23 (CIS 80/23)

डॉ. अनिरूद्ध कुमार बनाम बलबीर सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.02.2026	अपीलार्थी डॉ. अनिरूद्ध सिंह उपसथित नहीं, जिनकी हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता पेश हुआ, जो आज के लिए स्वीकार किया गया। प्रत्यर्थी अधिवक्ता उपस्थित। लंबित प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.12.2025 पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि परिवादी/प्रत्यर्थी ने सन 2012 में ग्राम गोपालपुरा, जिला झुन्झुनू में अभियुक्त को नगद 25,00,000/- रूपये अदा करना बताया है जबकि उसकी हैसियत नहीं है। उक्त राशि 2 लाख रूपये से अधिक है। इस बाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाईड लाईन के अनुसार आयकर विभाग में सूचना दी जानी आवश्यक व न्यायोचित है। आयकर विभाग से रेस्पोडेंट बलबीर सिंह से उसकी आय विवरण रिपोर्ट मंगवाई जानी न्यायोचित है। अतः प्रत्यर्थी बलबीर सिंह की आय का विवरण आयकर विभाग से मंगवाए जाने एवं उक्त लेन-देन की सूचना आयकर विभाग को भिजवाए जाने का आदेश दिए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने प्रकरण में देरी कारित किए जाने के आशय से यह सारहीन प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की ओर से वर्तमान अपील विद्वान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में दोषसिद्ध किए जाने के निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने परिवादी	

FORM NO.III
फर्द अहकाम (नियम 26)
अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1, मुकाम झुन्झुनू
आपराधिक अपील संख्या- 25/23 (CIS 80/23)
डॉ. अनिरूद्ध कुमार बनाम बलबीर सिंह

	द्वारा 25,00,000/- रूपये अभियुक्त को नगद दिया जाना बताते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाईडलाईन के अनुसार इसकी सूचना आयकर विभाग को दिए जाने और आयकर विभाग से परिवादी की आय का विवरण तलब किए जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2025 INSC 490 The Correspondence, RBANMS Educational Institution Vs B. Gunashekar And Anr. एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या- 07/पी.आई/ 2025 दिनांक 20.05.2025 के अनुसार प्रकरण के निस्तारण के 02 लाख रूपये से अधिक नगद संव्यवहार की सूचना आयकर विभाग को प्रेषित की जानी है। वर्तमान प्रकरण में 02 लाख रूपये से अधिक का संव्यवहार हुआ है, जिसकी सूचना अपील के निर्णय के समय नियमानुसार आयकर विभाग को प्रेषित की जा सकेगी। इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवादी की आय का विवरण तलब किया जाना एवं लेन-देन की सूचना आयकर विभाग को दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अपील दिनांक 12.03.2026 को पेश हो। SUSHIL KUMAR Digitally signed by SUSHIL KUMAR Date: 2026.02.21 17:03:09 +0530	